न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रामकिशोर मीना , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
20 / 19	एफएसएस एक्ट, 2006	24 / 07 / 2019

1. प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी , कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

–आवेदक

बनाम

1. घनश्याम गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता उम्र लगभग 58 वर्ष जाति महाजन (विक्रेता व मालिक) फर्म– संजय किराना स्टोर, परीता रोड, वजीरपुर ,तहसील वजीरपुर , पुलिसथाना वजीरपुर वाया गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर निवासी परीता रोड, वजीरपुर तहसील वजीरपुर ।

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)

निर्णय   दिनांक 23.10.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द्र जैन , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 24/10/2018 को लगभग 11:00 ए0एम0 पर दौराने गश्त फर्म संजय किराना स्टोर परिता रोड वजीरपुर पर श्री वेदप्रकाश पूर्विया एफएसओ कार्यालय मु0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के साथ पहुँचा। वहां पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम घनश्याम गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता उम्र लगभग 58 वर्ष जाति महाजन बताया एवं स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। आवेदक ने घनश्याम गुप्ता को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया। घनश्याम गुप्ता अपनी दुकान पर घी, तेल, चाय, चिनी तथा अन्य किराना एवं परचूनी सामग्री आम जनता को विक्रय करता है। आवेदक ने घनश्याम गुप्ता से वर्ष 2018–19 खाद्य पदार्थ लाईसेन्स /रजिस्ट्रेशन एवं स्वयं का पहचान पत्र दिखाने को कहा। तो उसने दुकान का खाद्य रजिस्ट्रशन सर्टिफिकेट एवं स्वयं का फोटो पहचान पत्र आवेदक को दिखाया एवं उसकी एक –एक स्वप्रमाणित प्रति आवेदक को दी। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह है कि आवेदक द्वारा निरीक्षण के समय फर्म के विक्रय परिसर में आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य वस्तु घी सरस 500 मि0ली0 पैक के एक ही तरह के 10 पैकिट एक स्टील की टंकी में रखे हुए थे का निरीक्षण करने पर उनमें मिलावट/मिथ्याछाप का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता घनश्याम गुप्ता से उसका खाद्य वस्तु घी (सरस) 500 मि0ली0 पैक के पैकिटों में से शुद्धता व लेबल की जांच हेतु नमूना देने हेतु कहां तथा विक्रेता को नमूना देने की सूचना जरिये प्रपत्र 5 ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये तथा विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ घी (सरस) 500 मिली पैक के 10 पैकिटों में से 4 पैकिट शुद्धता एवं लेबल की जांच हेतु नमूना लेने बाबत् खरीदे ,जिनकी [illegible] बाजार भाव से 620/– रु0 नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्[illegible]कर आवेदक स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.08.21 18:00:02 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ [illegible] 500 मिली पैक के पैकिटों को चार लेबल तैयार करके उनपर स्थान ,दिनांक , खाद्य वस्तु आदि लिखकर स्वयं के हस्ताक्षर [illegible]ता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को प्रत्येक पैकिट पर अलग–[illegible] चिपकाकर पैकिटों को [illegible] अलग ब्राउन पेपर से लेपटकर पेपर के सिरों को गोंद से चिपकाकर पैकिटों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी सवाई माधोपुर) द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप मय कोड नं0 एच– 1517 गोद से नियमानुसार प्रत्येक पैकिट पर चिपकाकर प्रत्येक पैकिट को एक मोटे मजबूत सख्त धागें से बांधकर चार–चार जगह चपडी से सील मोहर करके चारों पैकिटों यथास्थान विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं सीलबन्द पैकिटों को आवेदक ने अपने कब्जे में लिया तथा नियमानुसार नमूना कार्यवाही पूर्ण की तत्पश्चात् आवेदक द्वारा कार्यालय में पहूँचकर फार्म नं0 6 की छ प्रतियां तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिसे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। उक्त फार्म नं0 6की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द सैट एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नं0 6 की

प्रतियां एक लिफाफे में सील मोहर कर ,आउटर कवर में सील बन्द रौट व फार्म नं0 6 का सील बन्द लिफाफा गजानन्द लोधा वार्ड वॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक 25/10/2018 को खाद्य विशलेषक कोटा (राजस्थान) के यहां जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा सील बन्द नमूना के दो भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2018/4205 दिनांक 29/11/2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 610/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2018/659 दिनांक 06.11.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (सरस) असुरक्षित खाद्य व मिथ्याछाप प्रकृति का पाया गया। जिसकी विक्रेता द्वारा पुनः जांच हेतु आवेदन करने पर दूसरे भाग की रैफरल प्रयोगशाला पुणे से जांच करवायी गई। रेफरल प्रयोगशाला पुणे की जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट नं0 आरएफएल/डी0ओ0/118/19 /255 /2019 दिनांक 11.03.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (सरस) अवमानक व मिथ्याछाप प्रकृति का पाया गया, साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवेदक द्वारा उक्त प्रकरण गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरण में दोनों रेफरल प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के अनुसार दोनों प्रयोशाला की रिपोर्ट पृथक–पृथक प्राप्त हुई है। आवेदक द्वारा उक्त नमूना रेफरल प्रयोगशाला में खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त रिपोर्ट के 4 माह पश्चात व नमूना लेने के 5 माह पश्चात् प्रस्तुत की है। उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण माह अगस्त 2018 में हुआ था तथा पैकिंग के 6 माह पश्चात् उसकी मियाद खत्म हो रही थी। अर्थात माह 02/2018 में उक्त नमूने की मियाद खत्म हो रही थी। जबकि रैफरल प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट माह 03 वर्ष 2019 की है। अर्थात उक्त नमूने की मियाद खत्म होने के बाद की जांच रिपोर्ट जिससे स्पष्ट है कि उक्त जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ अवमानक स्तर का ही पाया जावेगा, साथ ही वकील अभियुक्त ने प्रकरण की कार्यवाही समाप्त करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली मे संलग्न रेफरल प्रयोगशाला पुणे की जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट नं0 आरएफएल/डी0ओ0/118/19 /255 /2019 दिनांक 11.03.2019 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता ने अवमानक व मिसब्राण्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है। उक्त प्रकरण में खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच रिपोर्ट दिनांक 06/11/2018 को प्राप्त हो चुकी थी तथा रेफरल प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट दिनांक 11.03.2019 की है। जो खाद्य पदार्थ के मियाद खत्म होने के पश्चात् की है। अतः उक्त प्रकरण में आवेदक द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 व 52 के तहत की गई कार्यवाही उचित प्रतीत नहीं होती है तथा अभियुक्त द्वारा उक्त नमूने के सबंध में कोई माल खरीद बिल/इन्वॉइस/वांरटी उपलब्ध करवाना नहीं पाया गया है। जो कि एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 27 (2)(d) का भी उल्लघंन है। आवेदक द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 58 के तहत की गई कार्यवाही उचित प्रतीत होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 58 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्तगण को 10,000 (दस हजार) [illegible] अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि व[illegible] शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्ण[illegible] मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही [illegible] आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्ता की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.08.21 18:00:02 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक. 23.10.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी